

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(50)एम.ई./ग्रुप-1/1987

जयपुर, दिनांक:

11 APR 2022


आदेश

डॉ. गिरीश चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, कोटा जिनकी जन्म तिथि 15.06.1957 है, के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2022 को मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. गिरीश चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, कोटा के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(इकबाल सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कोटा।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. डॉ. गिरीश चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव